राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 02/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 15.05.2017 निर्णय दिनांक : 12.07.2017

राजस्थान सरकार बनाम कुनणाराम पुत्र केसराराम जाति कुम्हार नि0 हिराणी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हिराणी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कुनणाराम पुत्र केसराराम जाति कुम्हार निवासी हिराणी नें ग्राम श्रीनगर के खसरा नम्बर 532 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर में से रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि पर सम्वत 2074 में लकड़ी की केबिन रखकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किया गया। नोटिस की प्रति अतिकमी ने लेने से इनकार किया गया दो मोतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये । जो नियमानुसार नोटिस तामील की क्षेणी में आता है। गैर सायल अनुपस्थित रहा ।

गैर सायल आज दिनांक को भी अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैर सायल का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायल ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है।

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम श्रीनगर के आराजी राज खसरा नम्बर 532 कुल रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म गै.मु. खारड़ा भूमि में से रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगाान 0.06 का पच्चास गुणा से राशि 3/– अक्षरे तीन रूपये

लगातार

जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील कुचामन सिटी

(भींमसिंह लिखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0